



सराहनीय कार्य जनपद कानपुर देहात
दिनांक- 03.09.2025

❖ **थाना शिवली पुलिस द्वारा धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट के वारण्टी 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना शिवली पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय एड्रीशन कोर्ट एण्ड सेशन जज कोर्ट न0 06 जनपद कानपुर देहात द्वारा मु0अ0सं0 131/2019 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना शिवली जनपद कानपुर देहात के विरुद्ध जारी किये गये वारण्ट के अनुपालन में वारण्टी सुरेश उर्फ मोनू पुत्र किशोरी लाल निवासी ग्राम पर्वतपुरवा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात को उसके अंकित पते से दिनांक 03.09.2025 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. सुरेश उर्फ मोनू पुत्र किशोरी लाल निवासी ग्राम पर्वतपुरवा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 382/2018 धारा 380/411/457 भादवि0
2. मु0अ0सं0 366/2018 धारा 380/457/411 भादवि0
3. मु0अ0सं0 417/2018 धारा 380/457/411 भादवि0
4. मु0अ0सं0 433/2018 धारा 3/25 आयुध अधिनियम
5. मु0अ0सं0 377/2018 धारा 380/457/411 भादवि0
6. मु0अ0सं0 434/2018 धारा 41/411 भादवि0
7. मु0अ0सं0 131/2019 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट
8. मु0अ0सं0 217/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना शिवली पुलिस